सं. 2/05/2018-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
01 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/स्वायत्त संगठनों आदि द्वारा संचालित राज्य भवनों/अतिथि गृहों/विभागीय अतिथि गृहों में सरकारी कर्मचारियों के अस्थायी निवास (छह माह की अधिकतम अवधि तक) के दौरान उन्हें किराए की प्रतिपूर्ति।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को राज्य भवनों/अतिथि गृहों में उनके निवास और उन मामलों के संबंध में भी जहां केन्द्र सरकार के कर्मचारी विभागीय अतिथि गृहों में निवास करते हैं, इस विभाग के दिनांक 15.12.2011 के का.ज्ञा.सं.2(25)/2004-ई.II(बी) में उल्लिखित अनुदेशों की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए इस विभाग में अनेक संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं।

2. इस विभाग में इस मामले पर विचार किया गया है। दिनांक 15.12.2011 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों की केन्द्र में तैनाती और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के किसी नए स्थान पर स्थानांतरण/तैनाती पर, जिसमें आवास परिवर्तन आवश्यक होता है, यदि वे केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों आदि द्वारा संचालित राज्य भवनों/अतिथि गृहों/विभागीय अतिथि गृहों में अस्थायी रूप से निवास करते हैं तो, निम्नलिखित शर्तें पूरी किए जाने पर, भुगतान किए गए किराए की राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकती है:

(क) कर्मचारी ने अपनी पात्रता के अनुसार आवास के लिए आवेदन किया है परंतु सरकार द्वारा आवास आबंटित नहीं किया गया है।

(ख) संबंधित अतिथि गृह कर्मचारी की तैनाती के स्थान पर स्थित होना चाहिए।

(ग) कर्मचारी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों आदि द्वारा संचालित राज्य भवनों/अतिथि गृहों/विभागीय अतिथि गृहों में अनिवार्य रूप से रहा हो और किराए के भुगतान के समर्थन में किराए की रसीदें प्रस्तुत की हों।

(घ) किराए की प्रतिपूर्ति छह माह की अधिकतम अवधि तक स्वीकार्य होगी।

(ड.) इस अवधि के दौरान कोई मकान किराया भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

3. ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

4. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।